[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0224   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/09/2025 14:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन):	दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से):	01/12/2024	Date To (दिनांक तक):	02/12/2024
Time Period (समय अवधि):	पहर	Time From (समय से):	10:15 बजे	Time To (समय तक):	13:12 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):		Date (दिनांक):	26/08/2025	Time (समय):	11:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :		Entry No. (प्रविष्टि सं.):	003	Date & Time (दिनांक एवं समय)	01/09/2025 14:43:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 200 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): PATWAR KARAYALYA UNCHA, TEHSIL JAHAJPUR,JILA BHILWARA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHIVSAGAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LOKRAJ MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	97, WARD NO 02 BUS STAND KE PEECHHE, JANTA COLONY, DEOLI, DEOLI, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	97, WARD NO 02 BUS STAND KE PEECHHE, JANTA COLONY, DEOLI, DEOLI, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHNWAR SINGH		पिता:NATTHU SINGH	1. PATWARI PATWAR HALKA UNCHA,JAHAJPUR,JAHAJPUR, शाहपुरा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	200000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	2,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 2,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम विषय – रिश्वत लेते हुए को पकडवाने बाबत महोदय जी, मैं प्रार्थी शिवसागर पुत्र श्री लोकराज जी मीणा 33 वर्ष निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा हाल निवास म.नं. 97 वार्ड नं. 02, जनता कोलोनी बस स्टेण्ड के पीछे देवली जिला (टोंक) में निवासरत है। मेरे दादाजी श्री गुलाब सिंह के नाम राजस्व ग्राम मोरला चौराहा तह. जहाजपुर के खसरा नं. 1430/601, 601/2 में कुल 5 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, मेरे दादाजी श्री गुलाब सिंह जी ने अपने जीवित रहते हुए चल अचल सम्पति की वसीयत नामा के जरिये स्टाम्प ए.एच 939838 से दिनांक 25.10.2017 को मेरे पिताजी श्री लोकराज मीणा के नाम कर दी थी। जो उप पंजीयक कार्यालय जहाजपुर में रजिस्टर्ड करवाई हुई है। मेरे पिताजी के नाम वसीयत नामा से उपरोक्त खसरो की कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु मेरे पिताजी ने पत्रावली तैयार तहसील कार्यालय जहाजपुर में 21.10.24 को प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार साहब श्री रविकुमार मीणा जी ने पत्रावली कार्य कर ग्राम पंचायत ऊंचा के पटवारी श्री भंवर सिंह शक्तावत को भिजवा दी। लेकिन श्री भंवर सिंह शक्तावत ने हमारी पत्रावली पर कोई कार्यवाही नही कर रहा है। दिनांक 29.11.24 को मोरला चौराहा पर मेरी किराणा दुकान आकर पटवारी श्री भंवर सिंह मिला जिसको मैने मेरे पिताजी के वसीयत का नामान्तरण पत्रावली पर कार्यवाही करने का निवेदन किया। तथा हाथा जोडी की। काफी समय हो गया। पिताजी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। तथा रिटायर्ड परसन है। जो कही आने जाने में दिक्कत होती है। आप पत्रावली पर रिपोर्ट करके भिजवा दो तो पटवारी श्री भंवर सिंह ने कहा कि आपकी हाइवे मे मौके की करोडो रूपये की जमीन है, इसका नामान्तरण खुलवाना है तो आपको जमीन की किमत का 25 प्रतिशत राशि मुझे दोगे तभी आपकी पत्रावली कार्यवाही करूंगा। भंवर सिंह ने 2500000/- पच्चीस लाख रूपये रिश्वत की मांग की। श्री भंवर सिंह ने कहा विभाग नें उपर अधिकारियो को भी देने पडते है। आप कही भी चले जाओ। बिना पैसे के आपके काम नही होगा। मेरे पटवारी जी भंवर सिंह को मेरे जायज कार्य की एवज में 25.00 लाख रू की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियो को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ, मेरी श्री भंवर सिंह पटवारी से कोई रंजिश नही है, और न ही कोई लेनदेन बकाया है। श्री भंवर सिंह पटवारी ने रिश्वत राशि लेनदेन के लिए प्राईवेट व्यक्ति कालू लाल रेगर को रखा हुआ है, सम्भवत रिश्वत के पैसे कालूलाल रेगर को ही दिलवाएगा। रिपोर्ट करता हूँ कानूनी कार्यवाही करे। एस.डी शिवसागर मीणा 1.12.24 प्रार्थी नाम शिवसागर मीणा पुत्र श्री लोकराज जी मीणा उम्र 33 वर्ष निवासी गाडोली थाना जहाजपुर जिला (शाहपुरा) हाल निवास म. 97 वार्ड नं. 2 जनता कोलोनी बस स्टेण्ड के पीछे देवली जिला (टोंक) मो.

संलग्न – 1. श्रीमान तहसीलदार साहब जहाजपुर को पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.24 के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र वसीयत की फोटोकॉपी कुल पेज 8 2. श्रीमान तहसीलदार साहब जहाजपुर को वसीयत का नामान्तरण करवाने के संबंध में ऑनलाईन जमा करवाई गई, पत्रावली की फोटोकॉपी पेज – 11 परिवादी श्री शिवसागर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एस.डी पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस - कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम दिनांक 01.12.24 समय 10.15 ए.एम - उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी श्री शिवसागर मीणा पुत्र श्री लोकराज मीणा, आयु 33 वर्ष निवासी म.नं. 97 वार्ड नं. 02 जनता कालोनी, बस स्टेण्ड के पीछे देवली जिला टोंक ने उपस्थित कार्यालय होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम के नाम इस आशय की मुझ पारसमल उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भागचंद जी मीणा को जरिये मोबाईल निवेदन किया गया। श्रीमान एडीशनल एस.पी. सा. ने मुझ उप अधीक्षक को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री शिवसागर द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक पूछताछ की तो बताया कि मैं बी.ए फर्स्ट ईयर तक पढा लिखा हूं तथा उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे स्वयं की हस्तलिखित है। परिवादी ने बताया कि मेरे दादाजी श्री गुलाब सिंह जी के नाम से राजस्व ग्राम ऊंचा, तहसील जहाजपुर में मोरला चौराये के पास खसरा सं. 1430/601, 601/02 मे कुल 05 बीघा 16 बीस्वा कृषि भूमि आई हुई है। मेरे दादाजी की दिनांक 09.07.2024 को मृत्यु हो चुकी है। मेरे दादाजी ने अपने जीवित रहते अपनी चल अचल सम्पति की वसीयतनामा दिनांक 25.10.2017 को ही मेरे पिताजी श्री लोकराज जी के नाम करवा दी थी। मेरे पिताजी डाकघर विभाग मे पोस्ट मास्टर पद

से रिटायर्ड है तथा इनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। मेरे पिताजी श्री लोकराज जी के नाम वसियत के आधार पर उपरोक्त खसरों में स्थित कृषि भूमि का म्यूटेशन (नामान्तरण) खुलवाने के लिये पत्रावली तैयार कर मैने दिनांक 19.09.2024 को श्रीमान तहसीलदार जी जहाजपुर, श्री रविकुमार जी मीणा को दे दी थी। तहसीलदार जी पत्रावली को पटवारी जी भंवर सिंह पटवार हल्का ऊंचा के पास ले जाने की कहा तो मैनें उक्त पत्रावली श्री भंवरसिंह पटवारी के पास प्रस्तुत की। जिन्होंने ने भी अपनी रिपोर्ट में वारिसान की जांच के संबंध में अपनी रिपोर्ट की। इसके बाद पटवारी जी श्री भंवरसिंह ने कहा कि आपका वसियत के आधार पर नामान्तरकरण है, इसलिये ऑफलाईन पत्रावली पेश करनी होगी तथा पत्रावली वापस लौटा दी। इसके बाद मैने दिनांक 21.10.24 को पटवारी जी के कहे अनुसार प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली तैयार कर तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। इसके बाद पत्रावली पटवारी जी श्री भंवरसिंह के पास आ गई। लेकिन श्री भंवरसिंह पटवारी ने काफी समय से हमारी पत्रावली को जान बूझकर अटका रखा है तथा हमे कई बार चक्कर लगवा दिये। दिनांक 29.11.24 को रात्री 9.30 पी.एम के लगभग मोरला चौराहा मेरी किराणा दुकान पर आये तब मैने पटवारी जी से मेरे पिताजी के वसीयत का नामान्तकरण पत्रावली पर कार्यवाही करने का निवेदन किया, तथा हाथा जोडी की, कि मेरे पिताजी की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, रिटायर्ड पर्सन है। उनको आने जाने मे परेशानी होती है। आप पत्रावली पर रिपोर्ट करके भिजवा दो तो पटवारी श्री भंवरसिंह ने कहा कि आपकी मौके की हाइवे की करोडो की जमीन है। आपको इसका म्यूटेशन खुलवाना है तो जमीन की कीमत का 25 प्रतिशत राशि मुझे दोगे तभी आपकी पत्रावली पर कार्यवाही की मैने काफी निवेदन किया लेकिन पटवारी ने कहा कि आपको मुझे 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) तो देने ही पडेंगे। भंवरसिंह ने कहा कि विभाग में उपर अधिकारियों को भी देने पडते है। पटवारी श्री भंवरसिंह ने मेरी पत्रावली पर रिपोर्ट करने की एवज में 25.00 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में पटवारी जी भंवरसिंह को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। बल्कि ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री भंवरसिंह पटवारी से किसी प्रकार की रंजिश नही है। एवं न ही किसी प्रकार की लेन देन बकाया है। श्री भंवरसिंह पटवारी ने रिश्वत राशि लेनदेन के लिये प्राईवेट व्यक्ति श्री कालूलाल रेगर को रखा हुआ है। सम्भवतः रिश्वत के पैसे अपने दलाल कालूलाल रेगर को ही दिलवायेगा। आज मैं आपको मेरे ड्राईविंग लाईसेंस की फोटोकॉपी, श्रीमान तहसीलदार साहब जहाजपुर को दिनांक 19.09.24 को प्रस्तुत पत्रावली की फोटोकॉपी, दिनांक 21.10.24 को श्रीमान तहसीलदार जहाजपुर को दी गई ऑफलाइन पत्रावली की फोटोप्रतियां मेरे हस्ताक्षर से स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ, मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरयाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः संदिग्ध अधिकारी से परिवादी को भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 11.30 ए.एम पर परिवादी श्री शिवसागर को एसओ से अपने लम्बित कार्य के संबंध में बातचीत करने एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में कहा तो परिवादी ने कहा कि मैं आज ही पटवारी जी से मिलकर मेरे कार्य के संबंध में एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। आज रविवार है, फिर भी श्री भंवरसिंह अक्सर मेरी दुकान पर आकर ही बातचीत करता है। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री रामेश्वरलाल कानि. बेल्ट नं. 250 को मेरे कार्यालय कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी श्री शिवसागर एवं कानि. श्री रामेश्वरलाल का आपस में परिचय करवाया तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्देश देकर परिवादी के साथ जाकर एस.ओ से होने वाली मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये तत्पश्चात श्री रामपाल सहायक उपनिरीक्षक को मेरे कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल एएसआई ने मालखाने से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड 32 जी.बी सेनडिस्क का लाकर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री शिवसागर को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा नया मैमोरी कार्ड को खोलकर डिजीटल वाइस रिकार्डर में लगाया गया तथा कानि श्री रामेश्वरलाल बेल्ट नं. 250 को आवश्यक निर्देश दिये कि आप परिवादी एस.ओ से वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वाइस रिकार्डर को अच्छी तरह से चालू कर सुपुर्द करें। समय 12.05 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर सोनी कम्पनी, जिसमें एक नया मैमोरी कार्ड 32 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का लगा हुआ है, मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु जरिये फर्द सुपुर्दगी कानि. श्री रामेश्वर लाल नं. 250 को सिपुर्द किया गया। फर्द सिपुर्दगी डिजीटल वाइस रिकार्डर पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.15 पी.एम पर कानि. श्री रामेश्वरलाल को परिवादी श्री शिवसागर के साथ परिवादी की स्वंय की कार से जहाजपुर की तरफ रवाना किया गया। कानि. श्री रामेश्वरलाल को निर्देश दिये कि आप परिवादी एवं एस.ओ. के मध्य होने वाली बातो को देखने एवं सुनने का प्रयास करें। तथा एस.ओ. की आमशोहरत के बारे में भी गोपनीय जानकारी करे। परिवादी नें एस.ओ. के मो.नं. .   मुझ उप अधीक्षक को बताये। समय 4.30 पी.एम. पर कानि. श्री रामेश्वरलाल ने मुझ उप अधीक्षक ने जरिये मोबाईल बताया कि मैं परिवादी श्री शिवसागर के साथ मोरला चौराये पर पहुंचे तथा परिवादी नें अपने मोबाईल फोन से एस.ओ के मोबाईल पर वार्ता को तो एस.ओ ने आज मिलने से मना कर दिया तथा परिवादी को कल 11.00 बजे मिलने की कहा है। इस पर मन उप अधीक्षक ने कानि. श्री रामेश्वरलाल को निर्देश दिये कि आज वही रूके तथा परिवादी से वार्ता की तो बताया कि वह डेली मेरी दुकान की तरफ शाम को भी आता रहता है, अतः श्री रामेश्वरलाल जी को वही पर रोक दे, इस पर मन उप अधीक्षक ने कानि. को परिवादी के

पास ही रूकने के निर्देश दिये, तथा कानि. को एवं परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 02.12.2024 समय 5.30 पी.एम पर कानि. श्री रामेश्वर ने उपस्थित कार्यालय होकर कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद हालत में मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से मय परिवादी श्री शिवसागर मीणा के साथ उसकी प्राईवेट कार से कार्यालय से रवाना होकर 3.00 पी.एम पर परिवादी की दुकान मोरला चौराहा पहुंचे तथा एस.ओ से परिवादी ने फोन पर वार्ता की तो एस.ओ ने मिलने से मना कर दिया, जिस पर मैं आपके निर्देशानुसार रात्रि में परिवादी के आवास पर ही मुकीम रहा। आज दिनांक 02.12.24 को मैने परिवादी को एस.ओ से वार्ता करने के लिये पटवार भवन में भेजा समय 1.12 मिनट पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वाइस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैने आपको कॉल किया, कि परिवादी एवं एस.ओ के मध्य बातचीत हो गई है, जिसको परिवादी ने डिजीटल वाइस रिकार्डर मे रिकार्ड कर लिया है। एस.ओ द्वारा परिवादी से लाख दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने कानि. के फोन से ही परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं आज श्री रामेश्वरलाल कानि. के साथ ऊंचा में पटवार भवन आकर कानि. श्री रामेश्वरलाल से डिजीटल वाइस रिकार्डर चालू हालत में प्राप्त किया। इसके बाद मैं पटवार भवन ऊंचा में गया तो पटवारी जी भंवरसिंह जी के पास पहले से 2-3 व्यक्ति बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके जाने के बाद मैने पटवारी श्री भंवरसिंह से मेरे लम्बित कार्य के संबंध में बातचीत की तो पटवारी जी ने कहा कि मैने 135/2 का फार्म भिजवा दिया है, पैसे लगेंगे लाख, दो लाख रूपये और बताया कि आज तहसीलदार साहब के पास भीड ज्यादा थी, तो मेरी बात नही हो पाई, मैं तहसीलदार साहब से बात कर लूंगा, मैने पटवारी जी द्वारा लाख, दो लाख रूपये रिश्वत मांगने पर मैने निवेदन किया कि लाख, दो लाख रूपये तो ज्यादा है, तो पटवारी जी ने कहा कि देखों आप कर देना, बता देंगे अभी तो कुछ नही है ऐसा जो होगा। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो एस.ओ द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम वसीयत का नामान्तरकरण खुलवाने एवं तहसीलदार से आगे की कार्यवाही में बातचीत करने एवं मदद के नाम पर एक लाख रूपये से अधिक रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाया गया। उक्त वार्ता डिजिटल वॉइस रिकार्डर की मैमोरी में रिकॉर्ड होना पाई गई। अतः एस.ओ से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मैं आज आपके कार्यालय में घरेलू कार्य होने से नही आ सकता, आइन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक के पास अलमारी में सुरक्षित रखा गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन किये गये। समय 07.06 पीएम पर परिवादी श्री शिवसागर मीणा ने मुझ उप अधीक्षक को अपने मोबाईल नं.
से फोन करके बताया कि अभी 6.00 बजे लगभग श्री भंवरसिंह पटवारी मेरी दुकान पर तथा अपनी गाडी कार नं. आर.जे 01- मी.डी- 7547 को मेरी दुकान के सामने खडी कर मुझे गाडी के पास बुलाया तथा कहा कि आपका वसीयत वाला फार्म 135/2 मैने भिजवा दिया है। इसके बाद कहा कि मैं आपको फोन पर बता दूंगा। इसके बाद पटवारी ने मेरे फोन पर बात की तथा कहा दर्ज तो हो गई, तथा पेशी पर बयान दर्ज होंगे और प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में दर्ज हो गया है। वसीयत में सुनवाई करनी पडती है, और कहा कि मेरी तरफ से कॉपरेट ही है, आपको नोटिस आ जायेगा तथा सभी वारिश को लेटर जायेगा। तथा बाद में तहसीलदार डिसाइड करता है, जिसके पक्ष में करना है और देखलेंगे वो तो, जिसकी मैने मेरे फोन से वार्तालाप को मेरे पापा के फोन में रिकार्ड कर लिया है। जो मैं आपको रिकार्डिंग आइन्दा उपलब्ध करवा दूंगा । इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को एस.ओ के मध्य हुई वार्ता की फोन रिकार्डिंग को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। आइन्दा परिवादी के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 27.05.2025 समय 02.20 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक की परिवादी श्री शिवसागर मीणा से जरिये मोबाईल वार्ता हुई तो परिवादी नें बताया कि मैं दिनांक 15.05.2025 से दिल्ली में पिताजी के इलाज में व्यस्त हूं, तथा मुझे ही उनकी देखभाल करनी पडती है। मैं 28.05.2025 को मैं अपने गांव आ जाऊँगा और आते ही आपके पास कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 02.06.2025 समय 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री शिवसागर मीणा उपस्थित कार्यालय आये, तथा बताया कि मैं मेरे पिताजी के इलाज के लिए चैकअप कराने के लिए बार बार दिल्ली जाना पडता है इसलिये मैं आज कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ हूं। पटवारी श्री भंवरसिंह का स्थानान्तरण पटवार हल्का ऊंचा से पटवार हल्का मांडल में हो गया है लेकिन अपने राजनैतिक रसुखात के चलते अभी तक मांडल में जोईन नही किया है तथा मुझे कई बार ऊंचा एवं आसपास के एरिये में ही अपनी गाडी लेकर घुमता हुआ मिला लेकिन मेरे से कोई बातचीत नही करता है। शायद उसको एसीबी कार्यवाही की शंका हो गयी है। अब पटवारी श्री भंवरसिंह मेरे से कोई रिश्वत की मांग नही कर रहा है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। समय 11.00 ए.एम पर श्री इन्द्रजीत कानि को कार्यालय पत्रांक 804 दिनांक 02.06.2025 से स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाडा रवाना किया गया। समय 12.45 पी.एम पर श्री इन्द्रजीत कानि सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाह (1) श्री भैरू सिंह चीता पुत्र श्री अमरू, जाति चीता, उम्र 34 वर्ष, निवासी भदाली खेडा, पुलिस थाना मांडल, जिला भीलवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भीलवाडा मो.नं. (2) श्री दिनेश खटीक पुत्र श्री रामसुख खटीक, उम्र 32 वर्ष, निवासी 232 रावला के पास बबराना, पुलिस थाना बनेडा, जिला

N.C.R.B

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

भीलवाडा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त भीलवाडा मो.नं. ,
कार्यालय पत्रांक पीए-गोपनीय/2025-26/754 दिनांक 02.06.2025 से उपस्थित कार्यालय आया, तथा कार्यालय पत्रांक एवं मय
मन उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। गवाहान से बातचीत कर पृथक से कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 01.15 पी.एम
पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन पारसमल उप अधीक्षक नें अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री शिवसागर मीणा से
आपस में परिचय करवाया गया तथा की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जाकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति
चाही गई तो दोनो गवाहान नें लिखित में अपनी सहमति दी। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र
गवाहान से पढवाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.30 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री
शिवसागर मीणा एवं आरोपी श्री भंवरसिंह पटवारी के मध्य दिनांक 02.12.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता
से संबंधित डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकाला गया तथा उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वॉईस
रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री शिवसागर
मीणा ने अपनी आवाज तथा दूसरी आवाज श्री भंवरसिंह पटवारी की आवाज की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द
ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई तथा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64
जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव
अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की
थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक
सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी
कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द
ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 26 अंकित की गई। सिल्ड
आर्टिकल मार्क PD-1 व PD-2 व फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। रिकार्ड वार्ताओं की हैश वेल्यू का प्रिंट
निकलवाकर सम्बंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सभी आर्टिकल मन पारसमल उप
अधीक्षक की आलमारी में सुरक्षित रखे गये। समय 04.30 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री
शिवसागर मीणा को दिनांक 02.12.2024 को आरोपी श्री भंवरसिंह पटवारी से हुई मोबाईल पर वार्ता जो आपके पिताजी
के मोबाईल फोन में रिकॉर्ड की गई है, से संबंधित मोबाईल व रिकॉर्ड वार्ताओं का पेनड्राईव प्रस्तुत करने के लिए कहा तो
कहा कि अभी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नही है इसलिये मुझे उनका चेकअप भी कराना है, मैं आईन्दा आपके पास
उपस्थित होकर रिकॉर्ड वार्ता से संबंधित पेनड्राईव पृथक से प्रस्तुत कर दूंगा। परिवादी व गवाहान को कार्यवाही की
गोपनीयता की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 03.06.2025
समय 3 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिवसागर मीणा से सम्पर्क किया तो परिवादी नें कल
दिनांक 04.06.2025 को प्रातः कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में पाबंद किया गया। समय 6.30 पी.एम पर दोनो
स्वतन्त्र गवाहान को जरिये मोबाईल दिनांक 04.06.2025 प्रातः 09.30 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद
किया गया। दिनांक 04.06.2025 समय 10.00 ए.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री भैरूसिंह व श्री दिनेश कुमार कार्यालय
हाजा में उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री शिवसागर मीणा कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा एक
16 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी का पेनड्राईव मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया। समय 12.00 पी.एम पर दिनांक
02.12.2024 को परिवादी श्री शिवसागर मीणा के पिता श्री लोकराज मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी
श्री भंवरसिंह पटवारी, पटवार हल्का ऊंचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा के मोबाईल नम्बर पर हुई
मोबाईल वार्ता, जो श्री लोकराज मीणा के मोबाईल वीवो वाई 500, 5 जी में रिकॉर्ड हुई, उक्त रिकॉर्ड वार्ता का पेनड्राईव
SANDISK कम्पनी 16 GB स्टील बॉडी सिल्वर को गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त पेनड्राईव में रिकॉर्ड वार्ताओं को
कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री शिवसागर मीणा ने
अपनी आवाज तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री भंवरसिंह पटवारी की पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से
फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई व उक्त रिकॉर्ड वार्ता के कुल तीन
पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक
पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद
कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर
एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-5 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को
उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के पेनड्राईव SANDISK कम्पनी 16
जीबी पेनड्राईव स्टील बॉडी सिल्वर कलर (परिवादी द्वारा पेश) को उसी कवर में रखा गया तथा पेनड्राईव को एक सफेद
कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क PD-3 दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द
ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 26 अंकित की गई। सिल्ड
आर्टिकल मार्क PD-3, PD-4, PD-5 व फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। रिकार्ड वार्ताओं की हैश वेल्यू

का प्रिंट निकलवाकर सम्बंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। सभी आर्टिकल मन पारसमल उप अधीक्षक की आलमारी में सुरक्षित रखे गये। समय 2.30 पी.एम पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप उपयोग में ली गई ब्रास-सील ACB BHL–1 26 का अवलोकन करवाया जाकर उक्त नमूना सील को बाद फारिक कार्यवाही के कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तोड़ कर नष्ट किया गया। फर्द नमूना व नाशानी सील पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री शिवसागर मीणा व दोनो गवाहान को रूखस्त किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री शिवसागर मीणा पुत्र श्री लोकराज जी मीणा 33 वर्ष निवासी गाडोली तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा हाल निवास म.नं. 97 वार्ड नं. 02, जनता कोलोनी बस स्टेण्ड के पीछे देवली जिला (टोंक) में परिवादी के दादाजी श्री गुलाब सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके नाम की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम मोरला, तहसील जहाजपुर के खसरा संख्या 1430/601, 601/2 में कुल 5 बीघा 16 बीस्वा कृषि भूमि पिताजी श्री लोकराज के नाम का वसियत के आधार पर नामांतरण खुलवाने के लिये पत्रावली तहसील कार्यालय जहाजपुर में दिनांक 21.10.2024 को प्रस्तुत की। जिस पर तहसीलदार श्री रविकुमार मीणा नें पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही एवं मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली राजस्व ग्राम ऊंचा के पटवारी श्री भंवरसिंह के पास भिजवायी। भंवर सिंह द्वारा कई दिनो तक कार्यवाही नही की गई, परिवादी द्वारा काफी हाथा जोडी करने पर कार्यवाही करने हेतु राजी हुआ तथा परिवादी को कहा कि आपकी मौके की करोडो रूपये की जमीन है जिसका नामान्तरण खुलवाना है तो 25 लाख रूपये रिश्वत के देने पडेंगे। तत्पश्चात परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.12.2024 को परिवादी को पटवारी श्री भंवरसिंह के पास उसके कार्यालय पटवार कार्यालय ऊंचा, तहसील जहाजपुर में भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री भंवरसिंह द्वारा परिवादी श्री शिवसागर मीणा से कहा कि पैसे लगेंगे लाख, दो लाख रूपये, जिस पर परिवादी श्री शिवसागर मीणा नें कहा कि सर एक दो लाख तो बहुत हो जावे, तब आरोपी श्री भंवरसिंह द्वारा कहा कि देखो आप कर देना, बता देंगे, अभी तो कुछ नही है ऐसा, जो होगा तथा आरोपी नें सत्यापन वार्ता के दौरान कहा कि तहसीलदार साहब के पास भीड थी, इसलिये मैं बात नही कर पाया। इत्यादि वार्तायें कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में रिकॉर्ड हुई तथा दिनांक 02.12.2024 को परिवादी श्री शिवसागर मीणा एवं आरोपी श्री भंवरसिंह पटवारी के मध्य हुई मोबाईल पर वार्ता जो परिवादी द्वारा उसके पिताजी के मोबाईल फोन में रिकॉर्ड की गई, उक्त वार्ता अनुसार परिवादी, आरोपी को कहता है कि हां सर मैं कह रहा हूं कि थोडा बताओं ना अब क्या है क्या नही है, तब आरोपी कहता है बस करवा दिया, हो गई व्यवस्था हो गई। एवं आगे वार्ता में कहता है कि मेरी तरफ से कॉपरेट ही है। इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम वसीयत का नामान्तरकरण खुलवाने एवं तहसीलदार से आगे की कार्यवाही में बातचीत करने एवं मदद के नाम पर एक लाख रूपये से अधिक रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाया गया। चूंकि प्रकरण में आरोपी श्री भंवरसिंह को भ्र.नि.ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की शंका होने तथा उसका स्थानांतरण हो जाने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी। इस प्रकार आरोपी श्री भंवरसिंह पटवारी, पटवार हल्का ऊंचा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 827-28 दिनांक 05.06.2025 से ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक भ्र.नि. ब्यूरो/अशा/3/25/11252-53 दिनांक 14.08.2025 से श्री भंवरसिंह पटवारी, पटवार हल्का ऊंचा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। अतः आरोपी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी गुनाठू, वाया सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार हल्का ऊंचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, उम्र 43 वर्ष, निवासी गुनाठू, वाया सिहोट बडी, तहसील धोद, जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार हल्का ऊंचा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बन्शीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 04 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1276-79 दिनांक 01.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. जिला कलक्टर, भीलवाडा, 3- उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम, पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 0?/09/2025 1?:4?

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)